

25.11.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नही। प्रार्थी का मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज हो गया है। इसलिए मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


राज्यक कलक्टर
एव अप्पवाण्डाधिकारी
हनुमानगढ

